

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(वानिकी अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन)

निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

विधानसभा के समीप, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, छत्तीसगढ़, रायपुर

फोन एवं फैक्स: 0771-2285121, 2285125

ईमेल: chhattisgarh.sccc@gmail.com

क्रमांक/CCC/42/2018/ 2401

रायपुर, दिनांक 19-12-2018

विज्ञप्ति प्रारूप

छत्तीसगढ़ राज्य में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (State Action Plan on Climate Change) का निर्माण किया गया है। कार्य योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की स्थापना नोडल एंजेसी के रूप में की गयी है। राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति में सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने वाली 02 गैर सरकारी संस्थाओं एवं 02 विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा उक्त कार्य में दक्ष 02 गैर सरकारी संस्थाओं एवं 02 विषय विशेषज्ञों से उपरोक्तानुसार कार्य संपादन हेतु दिनांक 10/01/2019 (शाम 5 बजे तक) तक प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

चयन हेतु निर्धारित मापदंड एवं आवेदन प्रारूप कार्यालयीन समय में कार्यालय से अथवा कार्यालयीन वेबसाइट www.cgclimatechange.com से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक 19/12

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

छत्तीसगढ़, रायपुर

संस्था/विषय विशेषज्ञ हेतु मापदंड एवं निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (State Action Plan on Climate Change) का निर्माण किया गया है। कार्य योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की स्थापना नोडल एंजेसी के रूप में की गयी है। राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टैयरिंग समिति में सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने वाली 02 गैर सरकारी संस्थाओं एवं 02 विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा उक्त कार्य में दक्ष 02 गैर सरकारी संस्थाओं एवं 02 विषय विशेषज्ञों से उपरोक्तानुसार कार्य संपादन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। संस्थाओं एवं विषय विशेषज्ञों के चयन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं :-

(अ) संस्थाओं हेतु :-

1. उपरोक्त क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव
2. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जलवायु परिवर्तन विषयक कार्य करने का न्यूनतम 08 वर्ष का अनुभव
3. जलवायु परिवर्तन के विषय में ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में कार्यानुभव
4. संस्था का विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण

(ब) विषय विशेषज्ञों विशेष हेतु :-

1. वानिकी/जल संसाधन/ग्रामीण विकास अथवा प्रबंधन/पर्यावरण विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि
2. उपरोक्त क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष का कार्यानुभव
3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जलवायु परिवर्तन विषयक कार्य करने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव
4. जलवायु परिवर्तन के विषय में ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में कार्यानुभव

इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं उपरोक्तानुसार शैक्षणिक एवं समानांतर कार्य किए जाने संबंधी दस्तावेज सहित अपना आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 10/01/2019 तक (शाम 5 बजे तक) निम्नानुसार पते पर भेज सकते हैं-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
विधानसभा के समीप, जीरो पाइंट, बलौदाबाजार रोड,
रायपुर, 493111, छत्तीसगढ़

आवेदन प्रारूप

आवेदन का शीर्षक :

1. आवेदक/ संस्था का नाम :

2. पिता का नाम (व्यक्तिगत आवेदन हेतु) :

3. संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष (संस्थागत आवेदन हेतु) :

4. शैक्षणिक योग्यता (व्यक्तिगत आवेदन हेतु) :

परीक्षा/ उपाधि	वर्ष	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	विषय	प्रतिशत

5. संस्था की स्थिति में संस्था में उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण :

नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	संबंधित कार्यानुभव	संस्था में कब से कार्यरत हैं ?

6. संस्था की स्थिति में संस्था में उपलब्ध अन्य संसाधन का विवरण (पृथक से पृष्ठ संलग्न करें।)

.....



7. विगत वर्षों में किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण (कार्यादेश/ अनुभव प्रमाण पत्र/ MOU /प्रतिवेदन संलग्न करें। इस हेतु पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।)

.....

8. विगत वर्षों में शासकीय संस्थाओं में किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण (कार्यादेश/ अनुभव प्रमाण पत्र/ MOU संलग्न करें। इस हेतु पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।)

.....

9. संस्था का विगत 03 वर्षों का वार्षिक व्यय विवरण (अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करें)

.....

10. संलग्नकों की संख्या (पृष्ठ संख्या सहित) -

1.....

2.....

3.....

//घोषणा पत्र//

मैं/ संस्था का नाम एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि उपरोक्त क्रमांक 01 से 10 तक दर्शित जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है एवं उपरोक्त कार्य मेरे/संस्था द्वारा पर पूर्ण निष्ठा से किया जावेगा। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक :

स्थान :



हस्ताक्षर एवं मुहर

नाम/ संस्था का नाम